

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 489-तीन / 2014, विरुद्ध आदेश दिनांक
04-12-2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण
क्रमांक अपील 419 / 2011-12

छोटेलाल साहू पुत्र स्व० श्री हरप्रसाद साहू
निवासी जतारा तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ म0प्र०

..... आवेदक

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,
जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र०

..... अनावेदक

.....
श्री साकेत उदैनियॉ, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी०एन०त्यागी, पेनल अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::
(आज दिनांक ११/११/१६ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-12-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ के द्वारा जिलाध्यक्ष को आवेदक के विरुद्ध एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि छितिमुली पहाड़ी, तहसील जतारा की शासकीय भूमि से आवेदक ने पत्थर, गिट्टी का अवैध उत्खनन किया है । इस पर जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये । बाद में जिलाध्यक्ष जिला टीकमगढ़ द्वारा धारा 30 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रकरण स्थानान्तरित कर दिया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा आवेदक को अवैध उत्खनन बावत नोटिस

जारी किया जाकर सुनवाई की गई। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 19-5-2003 को निर्णय पारित किया जाकर रुपये 1,18,000/- रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-5-2003 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2004-05 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 14-5-2012 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-5-03 स्थिर रखा गया। कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-5-2012 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहाँ अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक अपील 419/2011-12 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 04-12-2013 से आवेदक की अपील निरस्त कर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-5-2012 स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-12-2013 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत् साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं प्रकरण में आई साक्ष्य का विधि अनुरूप निरीक्षण नहीं किया गया है व स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है, केवल निरीक्षण दल के सदस्यों के झूठे कथनों के आधार पर जुर्माना आवेदक पर अधिरोपित किया है जो विधि के सिद्धांत के विपरीत है। तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात को भी विचार में नहीं लिया है कि आवेदक का जो केशन बताया गया है वह केशर निशांत साहू नामक व्यक्ति का है यदि अवैध उत्खनन या अनियमितता पाई गई थी तो निशांत साहू पर अर्थदण्ड आरोपित करना था, आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित करने का कोई आधार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया कि खसरा नम्बर 1136 की खदान का अवैध उत्खनन बताया गया है वह खदान 1988 से लगातार लीज पर दी जा रही है और उस पर लीज मालिकों द्वारा उत्खनन वैधानिक तरीके से किया जा रहा है। खनिज निरीक्षक द्वारा जो प्रकरण बनाया गया है उसमें 5 साक्षियों के नाम दिये गये हैं किन्तु एक भी साक्षी को न्यायालय में

परीक्षण नहीं कराया गया है तथा जो साक्षी प्रस्तुत किये गये हैं वह उन्हीं दल के सदस्य हैं। खनिज निरीक्षक द्वारा जिस दिनांक को निरीक्षण किया गया उस समय कोई भी दस्तावेज न तो माँगा गया और न ही निरीक्षक दल द्वारा उनसे बाद में प्रस्तुत करने को कहा गया फिर भी आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। तर्क में यह भी आधार लिया कि निरीक्षण दल द्वारा जिस खदान का अवैध रूप से उत्खनन करना बतलाया गया है जबकि वह खदान पूर्व से वर्ष 1988 से नीलाम होती चली आ रही है तथा वर्ष 1988 से 2002 तक जितना भी उत्खनन खसरा नम्बर 1136 की खदान में किया गया है उस सम्पूर्ण उत्खनन को मात्र एक माह का उत्खनन बताया है न ही नक्शा मौका बनाया गया और न ही पत्थरों की किस्म का मिलान प्रयोगशाला से प्रमाणित कराया गया है मात्र काल्पनिक सोच के आधार पर अपने कार्यालय में तैयार कर आवेदक पर विधि विरुद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर विचार किये बगैर आलोच्य आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर आयुक्त द्वारा तथ्यों पर बगैर विचार किये जो आलोच्य आदेश दिनांक 4-12-2013 को पारित किया है वह निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करते हुये आवेदक के विरुद्ध की गई झूठी कार्यवाही से व्यथित होकर उनके विरुद्ध विधि अनुरूप जुर्माना अधिरोपित करने का निवेदन किया गया ताकि भविष्य में इस प्रकार की झूठी कार्यवाही निरीक्षण दल द्वारा न की जा सके।

4/ अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यही कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक छोटेलाल का पुत्र निशांत साहू है व उसके नाम से एक क्रेशर का संचालन गांधी ग्राम तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ में किया जाता है व उसके नाम से खदान नम्बर 1163 स्वीकृत है वह उससे पत्थर निकालकर गिट्टी बनाकर विक्य करता है। प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर शासन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही कोई अवैध उत्खनन जो कि छोटेलाल साहू से जप्त किया गया हो, का उल्लेख किया है। शासकीय निरीक्षण

दल द्वारा निशांत साहू के स्टोन क्रेशर जब संचालित ही नहीं किया जाता है तो वह पथर का अवैध उत्खनन क्यों करेगा ? निरीक्षण दल द्वारा जिस स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया गया है वह रामनारायण साहू के नाम से संचालित हो रहा है इससे छोटेलाल साहू का कोई संबंध नहीं है । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक के नाम से कही कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और ना ही कोई जप्ती आवेदक के आधिपत्य से की गई है मात्र निशांत साहू जो कि आवेदक के पुत्र हैं उनके क्रेशर के स्टोन को आधार मानकारूँ आवेदक के विरुद्ध यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । खनिज निरीक्षक द्वारा आवेदक के विरुद्ध संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाया है जबकि विधि का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि अधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान से जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर के लिखित आदेश पर ऐसी शास्ती का भुगतान करने का दायी होगा । जो इस प्रकार निकाले गये या हटाये गये खनिजों के बाजार मूल्य के दुगुने के हिसाब से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी । परन्तु इस प्रकार संगणित राशि एक हजार रुपये से कम हो तो कलेक्टर ऐसी उच्च राशि की शास्ती अधिरोपित कर सकेगा जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी । विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2005 राजस्व निर्णय 107 सुरेन्द्र सिंह तथा एक अन्य विरुद्ध म0प्र0राज्य तथा वर्ष 1994 राजस्व निर्णय 241 श्री अर्जुनदास विरुद्ध म0प्र0शासन व वर्ष 1980 रजस्व निर्णय 121 हरीश भाई विरुद्ध म0प्र0राज्य के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये जिससे स्पष्ट है कि अवैध उत्खनन को सिद्ध करने का भार शासन के उपर होता है व अनुविभागीय अधिकारी बिना दोष सिद्ध किये अपने मन से अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं कर सकता । इस प्रकरण में भी शासन दोष सिद्ध करने में असफल रहा है । अतः विधि के प्रावधान के अनुसार भी खनिज निरीक्षक द्वारा जो कार्यवाही आवेदक के विरुद्ध की गई है वह वैधानिक नहीं है । खनिज निरीक्षक द्वारा जो प्रकरण बनाया गया है जिसमें 5 साक्षियों के नाम व पंचनामे पर खनिज जप्त करते समय हस्ताक्षर लिये गये उनके अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यान नहीं कराये गये हैं तथा न्यायदृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण का भार शासन पर होता है । अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र शासकीय निरीक्षण दल के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उनको आधार मानकर व आवेदक को बगैर सम्पूर्ण

सुनवाई का अवसर दिये बिना 1,18,000/- रुपये का अर्थदण्ड आरोपित करने संबंधी जो आदेश पारित किया है वह अनुचित है व कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा इसी आदेश को स्थिर रखकर जो आदेश दिनांक 14-05-2012 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-12-2013 को पारित किये हैं, त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-05-2003 तथा कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-05-2012 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश 04-12-2013 निरस्त किये जाते हैं व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक पर लगाया गया अर्थदण्ड निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है।



(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
गवालियर